संख्याः 1058 /xxiv–3/13/01(25)13

प्रेषक,

पी०एस०जंगपांगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यिमक शिक्षा परिषद,
समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 28 जून ,2013

विषयः द स्कालर्स एकेडमी कालाढूँगी, हल्द्वानी, नैनीताल को सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन(सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द स्कालर्स एकेडमी कालाढूँगी, हल्द्वानी, नैनीताल को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन(सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दियें जाने मे राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधीन आपत्ति नहीं है।

(क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंऊसिंल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तो/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ख)विद्यालय की पंजीकरण सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ग)विद्यालय प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा ।

(घ)विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नही लिया जायेगा।

(ड़) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौसिंल फार इण्डियन सर्टीफकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

(च)संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगे।

Scanned with OKEN Scanner

(छ)विद्यालय/संस्था के कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

(ज)राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें, संस्था उनका पालन करेगी।

(झ)विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ट)उक्त शर्तो में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के, कोई परिवर्तन/संशोधन/ परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

2. भविष्य में यदि पाया जाता है कि निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है यथा नियमों के अधीन नहीं है तो इसकी जवाबदेही/उत्तरदायित्व निदेशक एवं नियन्त्रक अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा।

3. उक्त विद्यालय द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण सम्बन्धी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

4. संस्था/स्कूल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में उल्लिखित प्राविधान कि 25 प्रतिशत सरकार प्रायोति कमजोर एवं अपेहक्षत वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से शिक्षा दी जायेगी, का भी पूर्ण से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. संस्था/स्कूल द्वारा प्रत्येक वर्ष **(U-DISE District Information System In Education)** में सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

6. उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने मे किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव

पृष्ठांक संख्याः 1058/xxiv–3/13/01(25)13तद्दिनांक.

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1)निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(2)जिलाधिकारी नैनीताल।
(3)अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
(4)मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल।
(5)प्रधानाचार्य, द स्कालर्स एकेडमी कालाढूंगी, हल्द्वानी, नैनीताल
(6)गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner